

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./संयु. संचा.वित्त/2018-19/342

भोपाल, दिनांक 11-12-18

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक संयु. संचा.वित्त/2018-19/427 दिनांक 6.11.2018 के द्वारा "अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40-2202-02-0109-0101-0701-44-001 के अंतर्गत विकलनीय होने निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश को संशोधित करते हुये अतिथि शिक्षकों के मानदेय लेखाशीर्ष 40-2202-02-0109-0101-0701-44-001 के अतिरिक्त निम्नानुसार लेखाशीर्ष में भी विकलनीय होगा :-

40-2202-02-0109-0102-0701-44-001

40-2202-02-0109-0103-0701-44-001

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।




(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक, वित्त  
लोक शिक्षण संचालनालय

पृ.क्र./ संयु. संचा.वित्त/2018-19/343  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 11-12-18

1. विशेष सहायक माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र.।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खंड शिक्षा अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेशकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण संचालनालय